<u>**दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि हेतु मॉयल लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए समूह चिकित्सा बीमा पॉलिसी (जीएमआई) की जानकारी**</u>

मॉयल लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु समुह चिकित्सा बीमा पॉलिसी के तहत बीमा कवरेज दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि के लिए नेशनल इंसुरेंस कंपनी द्वारा प्रदान किया जायेगा और पॉलिसी संख्या 281302502410000028 है।

(I) रोगी उपचार और सामान्य चिकित्सा उपचार सीमा में:

सेवानिवृत्त कर्मचारियों उनके पति/पत्नी और शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग आश्रित पुत्र/पुत्री के लिए कवरेज निम्नानुसार है:-

पुरानी योजना					नई योजना	
क्र.सं.	श्रेणी	मूल राशि (रुपये लाख में)	सुपर टॉप-अप (रुपये लाख में)	कुल कवरेज (रु. लाख में)	संशोधित सुपर टॉप- अप	(रुपये लाख में)
ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी (सी + एफ)
1	कामगार और एनई-01 से एनई-10	1.50	2.00	3.50	12.50	14.00
2	अधिकारी ई-0 से ई-5	3.00	3.00	6.00	17.00	20.00
3.	अधिकारी ई-6 से ई-9	4.50	4.50	9.50	25.50	30.00

- यदि, नई योजना के विकल्प का चुनाव किया जाता है, तो सेवानिवृत्त कर्मचारी को माता-पिता के लिए बीमा की अतिरिक्त लागत का वहन करना होगा।
- पुरानी योजना के विकल्प का चुनाव करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी, उन्हें पुरानी योजना के तहत कवर कर उपरोक्तानुसार मौजूदा बीमा के तहत कवरेज को जारी रखा जायेगा।

(II) ओपीडी उपचार सीमा:

प्रभावी दिनांक 01.04.2024 से ओपीडी उपचार के तहत कवरेज निम्नानुसार है:

पुरानी योजना			नई योजना
क्र.सं.	श्रेणी	दवाओं हेतु (रु.) वार्षिक सीमा	ओपीडी व्यय की प्रतिपूर्ति वार्षिक सीमा (रु.) (इंसुरेंस कंपनी द्वारा)
1.	कामगार और एनई-01 से एनई-10	48,000	72,000
2.	अधिकारी ई-0 से ई-9	48,000	90,000

पुरानी योजना के विकल्प का चुनाव करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी को मौजूदा प्रणाली के तहत दवाओं के लिए प्रति माह, प्रत्येक परिवार को रू. 4000.00 (चार हजार रुपये) तक मिलता रहेगा।

- नई योजना का चयन करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी ओपीडी व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए वार्षिक सीमा के तहत निम्नलिखित सुविधाओं अर्थात 72,000 रुपये या 90,000 रुपये तक का लाभ उठा सकते हैं।

(ए) डॉक्टर की फीस, परीक्षणों की लागत और दवाओं की लागत।

(बी) डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होने पर आवश्यकता अनुसार दो वर्ष में एक बार 15,000.00 रुपये तक की हियरिंग एड (कान की मशीन) और 5,000.00 रुपये तक का चश्मा ग्लास ।

(सी) वर्ष में एक बार विशेषज्ञ द्वारा स्वास्थ्य जांच (MASTER HEALTH CHECK-UP)।

(III) एकमुश्त अंशदान:

01.04.2024 से प्रभावी, एकमुश्त योगदान निम्नानुसार है:

क्र.सं.	श्रेणी	राशि (रू.)

(ए)	(बी)	(सी)
1.	कामगार और एनई–01 से एनई–10	6,000
2.	अधिकारी ई–0 से ई–5	20,000
3.	अधिकारी ई–6 से ई–9 तक	25,000

मौजूदा सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्होंने एकमुश्त अंशदान का पहले ही में भुगतान कर दिया है, उन्हें किसी भी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

Information on Group Medical Insurance Policy (GMI) for the Retired Employees of MOIL Limited for the period 01.04.2024 to 31.03.2025.

Insurance Coverage for Group Medical Insurance Policy for the Retired Employees of MOIL Limited is provided by NATIONAL INSURANCE COMPANY for the period 01.04.2024 to 31.03.2025 and policy number is 281302502410000028.

(I) In patient treatment & general medical treatment limit;

The coverage for the Retired employees, their Spouse and physically/ mentally challenged dependent Son / Daughter(s) is as under:

Old Scheme					New Scheme	
Sl. No.	Category	Basic Sum (Rs. In Lakh)	Super Top- Up (Rs. in Lakh)	Total coverages (Rs. in Lakh)	Revised Super Top- Up	(Rs. in Lakh)
A	B	C	D	E	F	G (C+F)
1	PRW & NE-01 to NE-10	1.50	2.00	3.50	12.50	14.00
2.	Exe. E-0 to E-5	3.00	3.00	6.00	17.00	20.00
3.	Exe -E-6 to E-9	4.50	5.00	9.50	25.50	30.00

► Retired employees need to bear the additional cost of insurance for parent, if opted for, under the New Scheme.

► Retired employees opting for old scheme, shall continued to be covered under the existing insurance coverage, mentioned as above, under the Old Scheme.

(II) Outpatient Treatment Limit;

(a) The coverage w.e.f. 01.04.2024 under OPD treatment is as under:

Old Scheme			New Scheme
Sl. No.	Category	Drawl of Medicines (Rs) Annual Limit	Re-imbursement of OPD Expenditure Annual Limit (Rs.)
1	PRW & NE-01 to NE-10	48,000	72,000
2.	Exe. E-0 to E-9	48,000	90,000

► Retired employees opting for Old Scheme, shall continued to draw medicines under the existing system i.e., Rs. 4,000.00 (Rs. Four Thousand Only) per month, per family.

► Retired employees opting for New Scheme can avail following facilities under their annual limit towards Re-imbursement of OPD Expenditure i.e., Rs. 72,000 or Rs. 90,000:

(a) Doctor's Fees, Cost of Tests and Cost of Medicines.
(b) Hearing Aid up to Rs. 15,000.00 and spectacle glass up to Rs. 5,000.00 once in two years, if required on certification by Doctors.
(c) Master Health Check-up once in a year.

(III) One-time Contribution;

W.e.f. 01.04.2024, the one – time contribution is as under:

Sl. No.	Category	Amount (Rs.)
(A)	(B)	(C)
1	PRW & NE-01 to NE-10	6,000
2.	Exe. E-0 to E5	20,000
3.	Exe.-E6 to E9	25,000

Existing retired Employees who have already paid the one-time contribution, need not to pay any amount.